

मण्डी समिति के लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र के साथ
संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

1. प्रतिभूति के रूप में थोक व्यापारी एवं आढती, थोक व्यापारी, आढती लाइसेन्स के लिए रू0 1,000.00, यूनीफाईड लाइसेन्स के लिए रू0 1,00,000.00 मात्र का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि समिति के नाम बंधक हो।
2. आवेदक की ओर से रू0 10/-मात्र के स्टाम्प पत्र पर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निर्धारित संलग्न प्रारूप पर।
3. दो गारण्टर द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर रू0 10/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र
4. पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड।
5. कम्पनी होने की रक्षा में निबन्धन प्रमाण-पत्र तथा मेमोरेण्डम की प्रति।
6. फर्म/कम्पनी के कई भागीदार/निदेशक होने की स्थिति में किसी एक भागीदार/निदेशक/ प्रबन्धक को लाइसेन्स आवेदन हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी फर्म/कम्पनी के द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति।
7. व्यापार स्थल किराये पर लिए जाने की दशा में पंजीकृत किरायानामा की प्रति।
8. आवेदक के PAN की छायाप्रति।
9. आवेदक के आधार की छायाप्रति।
10. कारोबार स्थल के पते के सत्यापन हेतु बिजली का बिल/हाउस टैक्स की रसीद की छायाप्रति।
11. फर्म/कम्पनी के GSTIN प्रमाण पत्र तथा TAN की छायाप्रति।
12. आश्रित वर्ग का होने की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
13. 1. आटा चक्की (शक्ति चालित), 2. तेल का धानी (शक्ति चालित) 3. अपतृषक (शक्ति चालित) 4. वितृषक 5. निष्कापक 6. ओटनी 7. डिकोरटीकेटर (शक्ति चालित) 8. बेल केन्द्रियित (शक्ति चालित) 9. चक्की (शक्ति चालित) 10. आरा मशीन 11. फुटकर व्यापारी 12. तोलक 13. मापक 14. पल्लेदार लाइसेन्स जो किराये का काम करते हैं, के लिए केवल लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र (20 ग) तथा आधार की प्रति ही पर्याप्त होगी।